न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस)

राजस्व अपील सं0 133/2014

सुनील कुमार दत्तक पुत्र मोहनलाल जाइन्दा पुत्र चिरंजीलाल, जाति जैन, आयु– 41 वर्ष, स्थायी निवासी खण्डाच तहसील किशनगढ़ हाल निवास पाटनी भवन के पास, जयपुर रोड मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
अपीलार्थी

विरूद्ध

1. श्रीमती अनिता पुत्री मोहनलाल, पत्नी विमल कुमार जाति जैन, निवासिन– एम वी प्रोविजन स्टोर, सेक्टर 4–ए, भिला छत्तीसगढ।
2. सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत डींडवाडा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

–प्रत्यर्थीगण

निर्णय अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरण संख्या 815

उपस्थित वकील अपीलार्थी श्री इन्द्रेश कुमार
वकील प्रत्यर्थी श्री सुण्डाराम जाट

दिनांक 24.03.2025

संक्षिप्त में अपील का सार इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रेश कुमार ने अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू.राज.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि मोहनलाल एवं चिरंजीलाल आपस में पूर्ण रक्त संबंधी होकर लिख्मीचन्द की जाइन्दा सन्तान थे। उपरोक्त मोहनलाल के कोई पुत्र सन्तान नही थी तथा अपीलार्थी का जन्म अपने वास्तविक जन्मदाता–पिता चिरंजीलाल की मृत्यु होने के लगभग 6 माह पश्चात हुआ था, अर्थात चिरंजीलाल की मृत्यु अपीलार्थी के जन्म से पूर्व ही हो चुकी थी तथा मोहनलाल की पत्नी का देहावसान भी अपीलार्थी के जन्म के पूर्व ही हो चुका था तथा मोहनलाल के कोई जाइन्दा पुत्र सन्तान नही होने से उन्होनें अपीलार्थी के जन्म से ही उसे दत्तक पुत्र होना स्वीकार कर अपीलार्थी का पालन–पोषण किया था तथा समस्त सामाजिक दायित्वो को पिता होकर निर्वहन किया था। जैसे अपीलार्थी का विवाह अन्य सामाजिक परिवेश में संस्कार इत्यादि उपरोक्त मोहनलाल ने ही किये थे तथा अपीलार्थी जाति–समाज में मोहनलाल पुत्र लिख्मीचन्द का पुत्र माना जाना जाता हैं। उपरोक्त अपीलार्थी के गोदग्रहण पिता मोहनलाल समय–समय पर जाति–समाज बन्धुओं के समक्ष अपीलार्थी को ही स्वयं का पुत्र घोषित कर चुके थे एवं अपीलार्थी ने भी उपरोक्त मोहनलाल पुत्र श्री लिख्मीचन्द को अपना पिता मानकर अपने पुंत्र धर्म का पालन किया है। अपीलार्थी ने ही उपरोक्त मोहनलाल का अंतिम संस्कार किया है तथा जाति समाज, रिती–रिवाज अनुसार मोहनलाल की पगडी भी अपीलार्थी को ही बान्धी गयी है। प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थी की बहिन होकर उपरोक्त मोहनलाल पुत्र लिख्मीचन्द की जाइन्दा पुत्री है। उपरोक्त अपीलार्थी के पिता मोहनलाल एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को विवाह समय पर्याप्त नगदी, जेवर आभूषण दिये तथा तीज–त्यौहार पर अपीलार्थी/ उपरोक्त मोहनलाल ने नगदी, जेवर, कपडे दिये। इस कारण मोहनलाल ने अपने देहावसान पूर्व अपीलार्थी के पक्ष में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, परिजन श्री मदनमोहन लखोटिया पुत्र श्री जमनालाल लखोटिया निवासी चन्द्रा कॉलोनी मदनगंज किशनगढ एवं निर्मल कुमार बाकलीवाल पुत्र श्री चन्दनमल निवासी तिलक नगर मदनगंज किशनगढ की साक्ष्य द्वारा हीरालाल पुत्र श्री राजमल बाकलीवाल निवासी– आर.के. कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ के समक्ष अपीलार्थी के पक्ष मे स्वतंत्र मस्तिष्क एवं शरीर के रहते हुये वसीयत निष्पादित की थी एवं वसीयत निष्पादन समय उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

मोहनलाल पुत्र लिख्मीचन्द द्वारा उपरोक्त हीरालाल पुत्र श्री राजमल बाकलीवाल को उपरोक्त वसीयत के ...यन करवाये जाने हेतु अधिकार प्रदत्त किये थे। उपरोक्त वसीयत मोहनलाल जी की अंतिम वसीयत है तथा मोहनलाल का देहावसान होने के कारण अपीलार्थी उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उपरोक्त ग्राम खण्डाच में वर्णित भूमि का अधिकारी हो चुका है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह पहलू भली भांति जानकारी में था कि मोहनलाल पुत्र श्री लिख्मीचन्द द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत कर रखी है। क्योंकि उक्त पहलू को उपरोक्त मोहनलाल अपने जीवनकाल में रूबरू गवाहन प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष भी इच्छा व्यक्त कर चुके थे तथा उन्होनें प्रत्यर्थी संख्या 1 को रूबरू गवाहन यह भी कथन किया था कि वह अपीलार्थी के विरूद्ध किसी सम्पति के लोभ लालच में अनर्गल विवाद नही करें एवं अपीलार्थी को यह कहा था कि वह प्रत्यर्थी संख्या 1 उसकी बहिन होने के कारण अपीलार्थी ही सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें। उपरोक्त मोहनलाल पुत्र लिख्मीचन्द के देहावसान पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उपरोक्त तथ्यों के जानकारी रहते हुये भी तुरत–फूरत मे सम्पति की लोभ लालच से वशीभूत होकर प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं पटवारी हल्का से सांठ गांठ कर उपरोक्त वर्णित भूमि में मोहनलाल के हिस्सें पर स्वयं का विरासत का नामान्तरण संख्या 815 दिनांक 22.7.2014 को दर्ज करवा दिया। अतः यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है– उपरोक्त अपीलाधीन नामांतरण प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा तुरत फूरत में गलत सजरा बनाकर राजस्व अधिकारियो से सांठ गांठ कर उत्तराधिकार के आधार पर दर्ज करवाया है। यहां पर यह अंकित किया जाना विधिक रहेगा कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उस स्थिती में लागू होता है, जहां कोई व्यक्ति निर्वसितीय देहावसान होता है। जबकि हस्तगत प्रकरण में तो मोहनलाल पुत्र श्री लिख्मीचन्द ने दिनांक 30.6.2014 को वसीयत निष्पादित की थी। अतः इस परिपेक्ष में उपरोक्त विरासत का नामान्तरण प्रथम दृष्टयां ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के विपरीत, विरोधाभासी है एवं अपास्त किये जाने योग्य हैं, उपरोक्त प्रत्यर्थी संख्या 1 को भी इस पहलू की भली भांति जानकारी थी कि उपरोक्त मोहनलाल पुत्र श्री लिख्मीचन्द द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत निष्पादित है एवं उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थी ही उपरोक्त मोहनलाल के जीवनकाल से मोहनलाल के हिस्से पर काबिज चला आ रहा है। उक्त पहलू की जानकारी रहते हुये भी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उपरोक्त तथ्यों को छिपाकर मिथ्या तथ्यों का प्रकटिकरण कर प्रत्यर्थी संख्या 2 के कार्यालय में यह जानते–बुझते हुये भी स्वयं के उपरोक्त मोहनलाल की एकाकी वारिस होने एवं मोहनलाल निर्वसितीय देहावसान होना अंकित कर उपरोक्त त्रुटियुक्त विधिविरूद्ध रूप से नामान्तरण स्वयं के नाम दर्ज करवाया है। जो प्रथम दष्टयां ही विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्तनीय है। उपरोक्त अपील अन्तर्गत विवादित नामान्तरण को दर्ज करने के पूर्व प्रत्यर्थी संख्या 2 अथवा पटवारी हल्का द्वारा भी अपीलार्थी को सुनवाई का कोई नोटिस, सूचना अवसर नही दिया गया। यहां पर यह महत्वपूर्ण पहलू है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मोहनलाल की मृत्यु को 12 दिन भी अच्छी तरह से पूरे नहीं होने दिये, दुर्भावना पूर्वक सम्पति की लोभ लालच में उपरोक्त भूमि का नामान्तरण स्वयं के नाम गलत तथ्यों का प्रकटिकरण कर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर दर्ज करवाया है। जो प्रत्यर्थी संख्या 1 की संकीर्ण मानसिकता के साथ साथ सम्पति के प्रति लालच, प्रवृति को ही प्रमाणित करती है। उपरोक्त अपील अन्तर्गत भूमि पर मोहनलाल पुत्र लिख्मीचन्द के हिस्से पर अपीलार्थी ही भौतिक रूप से काबिज चला आ रहा है। अपीलार्थी ने ही उपरोक्त भूमि पर सुधार विकास के कार्यों में लाखों रूपये का विनिवेश कर उपजाउ अधिक उपज पैदा करने योग्य बनाया है। इस पहलू के रहते हुये भी उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तरण अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय समरूप, निरंकुश एवं मनमाना होकर अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने उपरोक्त पिता मोहनलाल पुत्र लिख्मीचन्द के देहावसान पश्चात् जाति–समाज, रितीरिवाज अनुसार दायित्वों को परिपूर्ण कर दिनांक 26.7.2014 को तहसीलदार किशनगढ के समक्ष मोहनलाल के विरासत का नामान्तरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे तहसीलदार किशनगढ ने क्रम संख्या 2751 दिनांक 30.7.2014 को दर्ज कर पटवारी हल्का खण्डाच को जांच व कार्यवाही हेतु भिजवाया। उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा निम्न रिपोर्ट की गयी :– "निवेदन है कि ग्राम खण्डाच के खसरा नम्बर 319 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, बन० प्रथम, 333 रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा बंजर 338 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा बारानी अव्वल, कुल किता 3 रकबा 35 बीघा 15 बिसवर पर राजस्व जमाबन्दी संवत 2068–71 अनु० शांतिलाल, धर्मचन्द, सोहनलाल, मूलचन्द पिता चिरंजीलाल पिंकी पत्नी कमलचन्द, नाबा० रिषभ, अर्पित पिता कमलचन्द निधि पुत्री कमलचन्द जर्ये संरक्षक माता खुद मोहनलाल पुत्र लिख्मीचन्द कौम महाजन (जैन) सां. देह के नाम दर्ज है। नामान्तरण संख्या 815 दिनांक 22.7.2014 अनु. विरासत से मृत्यु मोहनलाल कौम महाजन के फौत होने से वारिस अनिता पुत्री मोहनलाल पत्नी विमल कुमार जैन कौम महाजन सा. दे. हाल निवास भिलाई जिला दुर्ग (छत्तीसगढ) का नाम दर्ज किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

रपंच ग्राम पंचायत डीडवाडा द्वारा जारी सजरा अनु. मृतक मोहनलाल के अनिता पुत्री मोहनलाल पत्नी [illegible] कुमार एकमात्र वारिस है।" एवं उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार किशनगढ प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी को दिनांक 25.8.2014 को नियमानुसार नामान्तरण के विरूद्ध अपील करने हेतु निर्देशित किया। उक्त नामान्तरण दर्ज करने के पूर्व पटवारी हल्का द्वारा न तो अपीलार्थी को सूचना दी गयी न ही मौके पर कब्जे की जांच की गयी तथा वसीयत के प्रभाव में रहते हुये अपीलाधीन नामान्तरण विधि विरूद्ध, निरंकुश, एक पक्षीय है एवं दिखावटी रूप से केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये तुरत–फूरत में दिखावटी कार्यवाही कर भरा गया हैं। जब अपीलार्थी के पक्ष में उपरोक्त भूमि की वर्णितानुसार वसीयत थी तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नही होने से भी उपरोक्त नामान्तरण वसीयत के रहते हुये भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर त्रुटियुक्त है। प्रस्तुत अपील में नामान्तरण संख्या 815 दिनांक 22.7.2014 के बाबत अपीलार्थी को प्रथम बार दिनांक 25.8.2014 को जानकारी होने से अन्दर मयाद अवधि मे प्रस्तत है। अन्यथा भी प्रकरण में किसी प्रकार की कोई तकनीकि त्रुटि, खामी नही रहे। नामान्तरण की चुनौती हेतु अपील समयावधि 30 यौम की होने के कारण विलम्ब अवधि के क्षम्य किये जाने बाबत अलग से प्रार्थनापत्र प्रस्तत हैं, श्रीमान से अपीलार्थी की प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा दिनांक 2.7.2014 को ग्राम खण्डाच पटवार हल्का खण्डाच, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिरोंज का तस्दीक नामान्तरण संख्या 815 निरस्त किये जाने के आदेश अपीलार्थी के पक्ष में एवं प्रत्यर्थी सख्या 1, 2 के विरूद्व पारित किये जावे।

अपील प्रार्थना पत्र को दिनांक 29.08.2014 को दर्ज किया गया तथा प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 18.05.2015 को प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12,14 सी0पी0सी0 का पेश किया जिसका जवाब वकील अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.01.2017 को पेश किया गया जिसपर वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.01.2019 को नोट प्रेस किया गया। वकील प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 25.02.2019 को प्रकरण में लिखित बहस पेश की जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम खण्डाच, पटवार हल्का खण्डाच, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सिरोंज, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या नया 105 पुराना 93 के खसरा संख्या 313 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 314 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 315 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, 316 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा खातेदारी भूमि का 1/10 हिस्सा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मोहनलाल पुत्र लिखमीचन्द के नाम दर्ज है। इसके अलावा जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के अनुसार ग्राम खण्डाच, पटवार हल्का खण्डाच, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सिरोंज, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर स्थित भूमि खाता संख्या नया 250 पुराना 241 के खसरा संख्या 319 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 333 रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 338 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 33 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी भूमि का 1/2 हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1 मोहनलाल पुत्र लिखमीचन्द के नाम दर्ज है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मोहनलाल की दिनांक 02.07.2014 को बीमारी में मृत्यु हो गयी थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मोहनलाल की मृत्यु पश्चात् उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी में स्व० मोहनलाल के स्थान पर नामान्तरण संख्या 815 दिनांक 22.07.2014 नियमानुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विंरासत के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किया है। इस आधार पर उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिमा के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज की गयी है। उक्त वर्णित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग प्रारम्भ से आज तक निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है। अपीलाण्ट का प्रत्यर्थी संख्या 1 के स्व० पिता मोहनलाल एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के परिवार से भी कोई लेना देना नही है। अपीलाण्ट छल, कपट एवं धोखे से प्रत्यर्थी संख्या 1 की भूमि को हड़पना चाहता है। इसलिए अपीलाण्ट ने गलत एवं असत्य आधारों पर अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कि अपीलाण्ट द्वारा असत्य एवं मिथ्या आधारों पर प्रत्यर्थी संख्यां 1 के पक्ष में तस्दीक नामान्तरण संख्या 815 दिनांक 22.07.2014 को चुनौती दी गयी है। इस संबंध में निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता स्व० मोहनलाल के प्रत्यर्थी संख्या 1 के अलावा अन्य कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं है। इस संबंध में ग्राम पंचायत डीडवाड़ा द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 18.07.2014 को जारी किया गया है। जिसके अनुसार स्व० मोहनलाल के प्रत्यर्थी संख्या 1 ही एक मात्र जीवित उत्तराधिकारी है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी स्व० मोहनलाल के नहीं था। अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी में एवं स्व०

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

ोहनलाल से कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद अपीलाण्ट ने मोहनलाल की 80 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था का फायदा उठाकर एवं तथाकथित कुटरचित वसीयतनामा दिनांक 30.06.2014 को तैयार किया है। जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मोहनलाल के वास्तविक हस्ताक्षर नही है। बल्कि कूटरचित तरीके से तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 30.06.2014 को अपीलाण्ट द्वारा तैयार करवाया गया है। यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 02.07.2014 से दिखना एवं कानो से सुनना 5–6 वर्षों पहले से बन्द हो ही आँखों से गया था, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ ही निवास करते थे। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ही उसके पिता की जिन्दगीभर सेवा की थी। अपीलाण्ट का प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मोहनलाल से एवं उनके परिवार से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। अपीलाण्ट द्वारा जिस तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 30.06.2014 के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी है। उसके संबंध में निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता को बीमारीके कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बीमार अवस्था में दिनांक 25.06.2014 को आर० के० मार्बल सिटी हॉस्पीटल किशनगढ़ में भर्ती करवाया था। बीमारी के दौरान ही प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता स्व० मोहनलाल की दिनांक 02.07.2014 को मृत्यु हो गयी थी। ऐसी परिस्थिति में दिनांक 30.06.2014 को अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 30.06.2014 को तथाकथित, फर्जी, कूटरचित वसीयतनामा तैयार करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। क्योंकि दिनांक 30.06.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता बीमारी के कारण आर० के० मार्बल सिटी हॉस्पीटल किशनगढ़ में भर्ती थे। बीमारी की अवस्था में अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान अपीलाण्ट के पक्ष में तथाकथित वसीयतनामा निष्पादित करने के कथन स्वतः ही स्वविरोधी एवं झूठे साबित होते है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट प्रकृट होता है कि तथाकथित वसीयतनामा अपीलाण्ट ने फर्जी, कूटरचित आधार पर स्वयं ने ही बनाकर तैयार किया है। इसलिए उक्त वर्णित आधारों पर अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत तथाकथित फर्जी, कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 30.06.2014 के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट प्रकट होता है कि तथाकथित वसीयतनामा अपंजीकृत दस्तावेज है। जो स्पष्ट रूप से संदिग्ध परिस्थितियों में अपीलाण्ट ने स्वयं ने फर्जी तरीके से तैयार किया है। इस आधार पर भी अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 30.06.2014 के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 319, 333 एवं 338 का ही उल्लेख किया गया है। जबकि अपील मीमों में अपीलाण्ट द्वारा जानबूझकर खसरा संख्या 313, 314, 315 एवं 316 का भी उल्लेख किया गया है। जबकि तथाकथित उक्त वसीयतनामा दिनांक 30.06.2014 में खसरा संख्या 313, 314, 315 एवं 316 का उल्लेख नही है। ऐसी परिस्थिति में अपीलाण्ट को प्रथम दृष्टया ही खसरा संख्या 313, 314, 315 एवं 316 के बारे में अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नही है। इस आधार पर भी अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट का प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मोहनलाल एवं उनके परिवार से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। अपीलाण्ट को स्व० मोहनलाल ने जीवित रहते हुए कभी भी दत्तक पुत्र के रूप में गृहण नहीं किया था। मोहनलाण्ट द्वारा स्व० मोहनलाल का दत्तक पुत्र होने के संबंध में कोई ठोस पंजीकृत दस्तावेज पेश नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को मोहनलाल का दत्तक पुत्र नहीं माना जा सकता है। विरासत का नामान्तरण संख्या 15 दिनांक 22.07.2014 विधिनुसार नियमानुसार सम्पूर्ण जांच करके सही तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक किया गया है। इस आधार पर अपीलाण्ट की अपील प्रत्यारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने कभी भी प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मोहनलाल की सेवा नही की थी इसके अलावा अपीलाण्ट ने मोहनलाल की मृत्यु के पश्चात् किसी भी प्रकार के क्रिया–क्रम आदि की कार्यवाही पगड़ी रश्म आदि अदा नहीं की गयी है। बल्कि मोहनलाल की मृत्यु के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मोहनलाल की एकमात्र जीवित पुत्री होने के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एवं उसके मामा श्री मिलापचन्द चान्दीवाल ने ही दाह संस्कार की कार्यवाही की थी तथा 12 दिन की रस्म की कार्यवाही भी प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं उसके मामा मिलापचन्द चान्दीवाल ने ही की थी। ऐसी परिस्थिति में अपीलाण्ट का मोहनलाल से कोई लेना देना नहीं था। इस आधार पर अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत तथाकथित फर्जी, कुटरचित, अपंजिकृत वसीयतनामा दिनांक 30.06.2014 के संबंध में अपीलाण्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा प्रोबेटकी कार्यवाही नही की गयी है। इस आधार पर तथाकथित फर्जी, कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 30.06.2014 के आधार पर अपीलाण्ट को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इस आधार पर भी अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है, प्रत्यर्थी संख्या 1 स्व. मोहनलाल की एकमात्र जीवित जाईन्दा पुत्री थी। इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 की मोहनलाल की एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

त आधार पर नियमानुसार सम्पूर्ण जांच कर नामान्तरण संख्या 815 दिनांक 22.07.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में खोला गया है जो पूर्णरूप से सही तरीके से खोला गया है। इस आधार पर अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें,अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत तथाकथित फर्जी, कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 30.06.2014 को निष्पादित होना दर्शाया गया है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मोहनलाल दिनांक 25.06.2014 से आर० के० मार्बल सिटी हॉस्पीटल किशनगढ़ में भर्ती थे। जिनकी दिनांक 02.07.2014 को मृत्यु हो गयी थी। ऐसी स्थिति में दिनांक 30.06.2014 को तथाकथित वसीयतनामा अपीलाण्ट के पक्ष में टाईप एवं निष्पादित करवाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। क्योंकि उस अवधि में प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता अस्पताल में बिस्तर पर रहकर इजाल हेतु भर्ती थे। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मोहनलाल की मृत्यु के 5–6 वर्षो पहले से आंखो से दिखना एवं कानों से सुनना बंद हो गया था ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट के पक्ष में तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 30.06.2014 निष्पादित किया जाना किसी भी परिस्थिति में सम्भव नही है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण कार्यवाही संदिग्ध परिस्थितियों में अपीलाण्ट द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता मोहनलाल की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि को झूठे लोभ व लालच में आकर हड़पने के उद्देश्य से की गयी है जबकि अपीलाण्ट का वादग्रस्त भूमि एवं मोहनलाल व उसके परिवार से कोई लेना देना नही है। उक्त वर्णित समस्त आधारों पर भी अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 03.01.2020 को वकील अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का वास्ते दस्तावेज को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत का तथा एक प्रार्थना पत्र वास्ते साक्ष्य की अनुमति दिये जाने बाबत का पेश किया जिसपर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी. पी.सी. का वास्ते दस्तावेज को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत को स्वीकार किया गया तथा प्रार्थना पत्र वास्ते साक्ष्य की अनुमति दिये जाने बाबत को अस्वीकार किया गया।

दिनांक 10.02.2025 को वकील अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अधीन मोहन लाल पुत्र लिखमी चन्द के देहावसान पश्चात् दर्ज नामान्तरण संख्या 815 दिनांक 22.07.2014 जिसके अधीन ग्राम खण्डाच की भूमि के बाबत् दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल है। क्योंकि उक्त नामान्तरण में प्रथम दृष्टया ही न तो खसरा संख्या अंकित किये गये है ना ही मोहनलाल वल्द लिखमीचन्द का हिस्सा कितना था। वह दर्ज किया गया है। ऐसे नामान्तरण भविष्य में विवाद करवातें है। मोहन लाल द्वारा अपनें जीवन काल में अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी। वह वसीयत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 इस बाबत् यह प्रावधान करती है :– पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम– बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित होगी–सबसे पहले उत्तराधिकारियों पर अनुसूची के वर्ग I में निर्दिष्ट रिश्तेदार हैं, दूसरा यदि वर्ग I का कोई वारिस नहीं है तो उत्तराधिकारियों पर अनुसूची के वर्ग II में निर्दिष्ट रिश्तेदार हैं, तृतीय यदि दोनों वर्गों में से किसी का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं हैतो मृतक के सगे भाइयों पर और अंततः यदि कोई सगा नहीं है तो मृतक के सजातीय पर–यह तथ्य स्पष्ट है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान तब ही प्रभावी होतें है, जब किसी हिन्दू पुरुष की मृत्यु पूर्व उसने किसी वसीयतनमा प्रलेख से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया हो किन्तु यदि उसने किसी को वसीयतनमा प्रलेख से अपनें जीवनकाल में उत्तराधिकार नियुक्त किया है। तो ऐसी स्थिति में धारा 08 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होतें है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्टतः यह निर्धारित किया है कि सजरा जारी किये जानें का अधिकार सरपंच को नहीं होता है। इस पहलू पर राज्य सरकार के जारी परिपत्र स्पष्ट है, क्योंकि उत्तराधिकार का अवधारण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन ही किया जाना अनुज्ञात रहता है। इस पहलू के साथ साथ उपरोक्त तथ्य पत्रावली पर स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किये जानें के पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। इस पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय में स्पष्ट है। जिसके रहतें हुयें अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर उपरोक्त नामान्तरण के बाबत् अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदत्त किया जाना सारवान एवं आवश्यक हो जाता है। उपरोक्त मोहन लाल के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं था। उन्होने अपीलार्थी को बाल्यकाल अवस्था में ही अपना पुत्र मान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

या था एवं इस बाबत् उपरोक्त मोहन लाल ने अपनें जीवन काल में ही स्वयं के लोक दस्तावेज आय पोषण प्रमाण पत्र पारिवारिक सदस्य में अपीलार्थी को पुत्र एवं अपीलार्थी के पत्नी को पुत्रवधु माना है एवं परिवार कार्ड में भी मोहन लाल ने अपनें पारिवारिक सदस्यों में अपीलार्थी को पुत्र एवं अपीलार्थी की पत्नी को पुत्रवधु माना है। हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम में यह कही भी वांछित नहीं है। कि दत्तक ग्रहण का प्रलेख पंजीबद्ध हो अथवा उसके बाबत् कोई लेख्य पत्र एवं इसी पहलू के कारण ही दत्तक के सम्बन्धों को प्रतिस्थापित किया जावे। यह तथ्य पत्रावली पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष मोहन लाल जैन द्वारा अपनें देहावसान पूर्व अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत दिनांक 30.06. 2014 का संज्ञान होने के उपरान्त भी उसे सिविल क्षेत्राधिकारिता के न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया है। ऐसी स्थिति मे उक्त अपील स्वीकार किये जानें योग्य होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज नामान्तरण अपास्त किये जानें योग्य है। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 23. 02.2021 का जारी परिपत्र इस पहलू पर एवं अपील में सन्दर्भित बिन्दूओं के लियें तात्विक, महत्वपूर्ण है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्देश जारी किये हैः– " विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय संरपचों / ग्राम पंचायतो द्वारा अक्सर किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जानें पर उसके पक्ष में कुर्सीनामा / वारिस / उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जातें / जा रहे है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम 1956 में किसी भी पंचायती राज संस्था द्वारा कुर्सीनामा / वारिस / उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जानें का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी ध्यान में आया है कि इस प्रकार किसी सरपंच/ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार जारी किये गये कुर्सीनामा / वारिस /उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र विधिक दृष्टि से आमान्य होने के कारण, जारी करनें वालें सरपंच / ग्राम पंचायत को अनावश्यक जांच कार्यवाहियों का भी सामना करना पडता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि सरपंच/ग्राम पंचायतों द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जावें। इस परिपत्र से स्पष्ट है कि जो अपीलाधीन नामान्तरण है। वह विधि से शून्य दस्तावेज पर आधारित है। जों अपनें आप में शून्यता की श्रेणी में आता है एवं यह पहलू विधि से सुस्थापित है कि दस्तावेज़ के आधार पर पारित कोई भी आदेश जो कानूनी अधिकार के तहत जारी नहीं किया गया है, वह शून्यता के दायरे में आ जाएगा, वह हमेशा शून्य रहेगा, उसे समय के साथ समाप्त नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक प्राधिकारी के पास ऐसे आदेश की वैधता की जांच करने की शक्ति होगी। इस पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त सलग्न प्रस्तुत है। उअतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तरण अपास्त किये जानें की कृपा करावें।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात के अवलोकन से ताईद है कि वादअधीन विवादित नामान्तरण संख्या 815 दिनांक 22.07.2014 को पटवार हल्का खण्डाच द्वारा की गई जांच एवं भू.अ.नि. के सत्यापन के उपरान्त ग्राम पंचायत डींडवाडा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये ही खोला गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा कोई भी ऐसा ठोस दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है जिससे वह मोहनलाल का दत्तक पुत्र प्रमाणित होता हो, वसीयत भी मोहनलाल की मृत्यु से मात्र कुछ समय पूर्व ही लिखी गई है एवं उसमें भी मोहनलाल की सम्पूर्ण अचल सम्पति का विवरण नहीं है, जिससे वसीयत भी सन्देह से परे हो यह कहा नहीं जा सकता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.रा.अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.03.25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)